डिग्री मुकदमा इब्तदाई

(जे 2 फार्म 6-1 राजस्व संहिता)

अदा अदालत उप जिला कलक्टर [illegible]

इजलास श्री [illegible] प्रसाद [illegible] ([illegible])

बनाम

[illegible] सिंह पुत्र [illegible] आदि आदि
निवासी [illegible]
तहसील [illegible]

बनाम 1. [illegible] पुत्र [illegible] आदि आदि
2. कल्याण प्रसाद पुत्र [illegible] आदि महाजन
निवासीगण [illegible] तहसील [illegible]
3. [illegible]

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुक. [illegible] सन 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल पेश हुआ श्री [illegible] गुप्ता एडवोकेट व वादी ____ निम्नलिखित गुजरे [illegible] निम्नांकित हुक्मनामा पास होकर जुम्ला किया जाता है व प्रार्थमिक डिक्री दी जाती है कि

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी मय दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है। ग्राम [illegible] की खतौनी में वादी [illegible] सिंह की खाता 88/1 रकबा 1.07 है0 का एवं प्रतिवादी न0 2 कल्याण प्रसाद महाजन की खाता 88 रकबा 1.18 है0 के आधार क्रमवार सीमित किए जाते हैं। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न करें और न ही किसी प्रकार का निर्माण करें। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ संलग्न है।

मिन्हा — मुजरिया — बाबत — खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक — अदा करे। आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.08.2019 को जारी की गई।

हस्ताक्षर [illegible]
ओहदा [illegible]

मुद्दई	रकम	पैसे	मुद्दआला	रकम	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तलब गवाह			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			खर्च इजराय हुक्मनामा		
खर्च इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 117/17 तारीख रजू:– 05.09.17

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

ज्ञान सिह पुत्र रत्तिराम जाति जाटव निवासी करमपुरा तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. जगमोहन पुत्र किशोरी जाति जाटव निवासी करमपुरा तहसील टोडाभीम।
2. कल्याण प्रसाद पुत्र परसादी जाति महाजन निवासी करमपुरा तहसील टोडाभीम।
3. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

निर्णय **दिनांक:– 04.06.2019**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम करमपुरा की भूमि आराजी ख0न0 666 रकवा 0.35 है0 मे हिस्सा 17/35 एवं ख0न0 665 रकवा 0.04 है0 सम्पूर्ण का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादी न0 1 जगमोहन का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। झगडालू किस्म का आदमी है, इसकी नियत मे बेईमानी है। वादी की उक्त भूमि को जबरदस्ती छीनना चाहता है। दिनांक:– 04.09.2017 को प्रतिवादी वादी की खातेदारी कब्जे की भूमि ख0न0 665, 666 पर आया और ख0न0 666 मे रास्ते की तरफ कुछ भूमि मे जबरदस्ती लेट्रिन, बाथरूम, कमरा आदि का निर्माण करने की धमकी दी है। वादी ने प्रतिवादी को समझाया किन्तु नही माना इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी न0 1 जगमोहन वावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी न0 1 जगमोहन को पाबन्द किया जावे कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि ख0न0 666 रकवा 0.35 है0 मे हिस्सा 17/35 एवं ख0न0 665 रकवा 0.04है0 सम्पूर्ण स्थित ग्राम करमपुरा मे वादी के कब्जे मे किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे। तथा उक्त भूमि मे लेट्रिन,बाथरूम,कमरा आदि का निर्माण नही करे। तथा भूमि ख0न0 666 रकवा 0.35 है0 ग्राम करमपुरा मे वादी का हिस्सा 17/35 कब्जेअनुसार अलग खाता कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी न0 2 और 3 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। इस कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रवितादी न0 1 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। पर्याप्त समय दिए जाने के वावजूद इनकी और से जबाब प्रस्तुत नही किया गया। दिनांक 04.04.2019 को प्रतिवादी न0 1 एवं इनके वकील उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

यह दावा वाद सुनवाई दिनांक 11.04.2019 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

वादी वकील ने बटवारा स्कीम का अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वादी वकील की बहस पर मनन करते हुए मुताबिक बटवारा स्कीम दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी गण वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है। ग्राम करमपुरा की आराजी मे वादी ज्ञान सिंह को ख0न0 666/1 रकवा 0.17 है0 का एवं प्रतिवादी न0 2 कल्याण प्रसाद महाजन को ख0न0 666 रकवा 0.18 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि मे किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करे नाहि किसी प्रकार का निर्माण करे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

4/6/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपजिला कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

Scanned by CamScanner